तत्काल

संख्या-895 /9-9-18- 111ज/13टी0सी0

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, महराजगंज जनपद-महराजगंज/
नगर पालिका परिषद आजमगढ़ जनपद-आजमगढ़/नगर पंचायत, रेवती,
जनपद-बलिया ।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 04 मई, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-2017 एवं 2017-18 में नया सवेरा नगर विकास योजना(वर्तमान में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना) के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में अनुदान सं0-83/37 से स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कमशः अपने पत्रांक-501/न0पा0प0मह0/2018- 2019, दिनांक रहित, पत्रांक-290/दिनांक-12-04-2018, पत्रांक-04/नं0पं0रे0/वर्ष, 2018-19, दिनांक-05-04-2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017-2017-18 में प्रदेश की विभिन्न नागर निकायों को उनकी मांग पर विकास कार्य हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत(**वर्तमान में पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना**) ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निकायो द्वारा स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

**(धनराशि लाख रूपये में)**

| क्र0 सं0 | जनपद का नाम | निकाय का नाम | शासनादेश संख्या एवं दिनांक | अनुदान संख्या | स्वीकृति धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | महराजगंज | न0पा0प0 महराजगंज | संख्या-161/2016/आरएफ1375/नौ-9-16-113आरएफ/16,दिनाक- 08-12-2016 | 83 | 30.00 |
| 2 | आजमगढ़ | न0पा0प0 आजमगढ | संख्या-59/2018/आरएफ315/नौ-9-18-98आरएफ/15, दिनांक-29-03-2018 | 83 | 130.62 |
| 3 | बलिया | न0पं0 रेवती | संख्या-18/2018/आरएफ198/नौ-9-18-83आरएफ/16 दिनांक 16-03-2018 | 37 | 82.14 |

S.k.Go's

3. उपरोक्तानुसार कालम–03 में उल्लिखित नागर निकायों को नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत धनराशि की **उपयोगिता अवधि दिनांक–31.12.2018 तक बढायी जाती है** । उक्त निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाय।

4. सम्बन्धित निकायों द्वारा योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय तथा यथाशीघ्र स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराकर निर्धारित समयावधि के अन्दर धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31.12.2018 तक निर्धारित प्रपत्र पर कार्यालय महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय,

( राधे कृष्ण )
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी महराजगंज/आजमगढ़/बलिया
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8।
7. गार्ड फाइल/वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

o/c

( अखिलानन्द ब्रह्मचारी )
अनु सचिव।

S.k.Go's